संख्या- 82 /26-ब0प्र0-2008-38एसजीएसवाई/06 टीसी-9

प्रेषक,

राम गणेश
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी 2008

विषयः- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु राज्यांश की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-64/वि0का0/07-08, दिनांक 11.01.2008 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारत सरकार के पत्र संख्या- G-2001 3/2007-SGSY-I दिनांक 21.3.07 द्वारा कुल परिव्यय रू0 41007.51 लाख निर्धारित किए गए जिसमे से केन्द्रांश रू0 30755.63 लाख एवं राज्यांश रू0 10251.88 लाख निर्धारित है । नियोजन विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल रू0 105.00 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है । राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत कुल रू0 96.2594 करोड की बजट व्यवस्था की गयी है। जिसमे सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में रू0 51.2594 करोड़ और एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 हेतु रू0 45.00 करोड़ की व्यवस्था है ।

2- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 में शासनादेश संख्या-139 अ/26-ब0प्र0-2007-38 एस0जी0एस0वाई0/06 टीसी-4 दिनांक 1.6.2007 द्वारा लेखानुदान की प्रथम किश्त के रूप में रू0 853.33 लाख तथा शासनादेश संख्या-312/26-ब0प्र0-2007- 38 एसजीएसवाई/06 टीसी, दिनांक 07 सितम्बर, 2007 द्वारा रू0 1707.64 लाख अर्थात कुल रू0 2560.97 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ साठ लाख सत्तानब्बे हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है । भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय अवशेष राज्यांश की राशि रू0 1939.03 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा । वर्ष 2007-08 में एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि की माँग उक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उस सीमा तक ही भेजी जायेगी जिस सीमा तक अनुसूचित जाति के लाभार्थी योजना से लाभान्वित किये जा रहे है।

(2)- एस0सी0एस0पी0 अनुदान मद संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति तथा योजना क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव के शासनादेश संख्या-60/26-ब0प्र0-2007 दिनांक 9 अप्रैल, 2007 एवं शासनादेश संख्या- 77/26-ब0प्र0-2007 दिनांक 8 मई, 2007 द्वारा वांछित सूचनायें प्राथमिकता के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अतिशीघ्र बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगीं ।

(3)- योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण एस0सी0एस0पी0 केन्द्रांश की प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा । जिन जनपदों के लिए केन्द्रांश प्राप्त नही हो पाता है, उनके लिए स्वीकृत राज्यांश यथासमय समर्पित किया जायेगा । धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए । धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक, लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होगें । यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम विकास विभाग एवं समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाए।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके ।

.....2/-

(5)- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(6)- अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 1939.03 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ उन्तालिस लाख तीन हजार मात्र), में से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें । धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(7)- केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके । वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि, 31 मार्च, 2008 को समर्पित कर दी जायेगी ।

(8)- आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2761/दस-2007-247/2007 दिनांक 30.7.2007 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखाशीर्षक-"2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (केन्द्रांश 75 प्रतिशत/राज्यांश 25 प्रतिशत-राज्यांश) (जिला योजना)-20- सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा ।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-251/दस-2008 दिनांक 08 फरवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 82 (1)/26-ब0प्र0-2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम विकास, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- राज्य योजना आयोग-1/2, नियोजन अनुभाग-3
8- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
अनु सचिव ।